छत्तीसगढ़ शासन
सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

अधिसूचना

दिनांक–27 सितम्बर, 2013

क्रमांक–एफ 1–2/56/2013/सू.प्रौ.जै.प्रौ/454 :: यतः, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (2000 का 21) (जो इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 70 की उप–धारा (1) के अंतर्गत जारी शासन की अधिसूचना क्रमांक–एफ 1–2/56/2013/सू.प्रौ.जै.प्रौ/452 दिनांक 27 सितम्बर, 2013 के अधीन, छत्तीसगढ़ शासन ने कम्प्यूटर, कम्प्यूटर सिस्टम, कम्प्यूटर नेटवर्क, कम्प्यूटर संसाधन एवं संचार उपकरण, जो कि इससे संलग्न अनुसूची में उल्लिखित अतिसंवेदनशील सूचना अधोसंरचना की सुविधा को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप प्रभावित करते हैं, को सुरक्षित तंत्र घोषित किया है,

एवं यतः, उक्त अधिसूचना के अंतर्गत अधिसूचित सुरक्षित तंत्र तक पहुँचने के लिये उक्त अधिनियम की धारा 70 की उप–धारा (2) के अंतर्गत कुछ व्यक्तियों को प्राधिकृत किया जाना आवश्यक है;

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 70 की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ शासन, एतद्द्वारा, निम्नलिखित सारणी के कॉलम (3) में उल्लिखित व्यक्तियों को, उन व्यक्तियों के समक्ष कॉलम (2) में उल्लिखित सुरक्षित तंत्र का उपयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

अमन कुमार सिंह
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी

क्रमांक– एफ 1–2/56/2013/सू.प्रौ.जै.प्रौ/455 रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर, 2013

प्रतिलिपि–

1 महामहिम राज्यपाल के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन

2 प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

3 महापंजीयक, उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़

4 माननीय मुख्य मंत्री छत्तीसगढ़ शासन के सचिव की ओर सूचनार्थ।

5 माननीय मंत्री/राज्य मंत्री के विशेष सहायक/निज सचिव/निज सहायक (समस्त) की ओर सूचनार्थ।

6 उप सचिव, महाधिवक्ता कार्यालय, छत्तीसगढ़

7 महालेखाकार, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।

8 मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के अवर सचिव

9 अध्यक्ष, राजस्व मंडल, बिलासपुर, छत्तीसगढ़

10 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन (समस्त)

11 अपर सचिव/संयुक्त सचिव/ उप सचिव/ अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन (समस्त)

12 नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, छत्तीसगढ़, राजनांदगांव की ओर राजपत्र में प्रकाशन हेतु।

13 विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ (समस्त)

14 संभागीय आयुक्त (समस्त), छत्तीसगढ़

15 संचालक, जनसम्पर्क, छत्तीसगढ़

16 कलेक्टर, छत्तीसगढ़ (समस्त)

17 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स की ओर सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही एवं राज्य, चिप्स एवं चॉइस की वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु।

18 राज्य सूचनाविज्ञान अधिकारी, राज्य सूचनाविज्ञान केन्द्र, छत्तीसगढ़

– की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

क्षेत्र सिंह
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी

अनुसूची

सरल क्रमांक	उपकरण	प्राधिकृत व्यक्ति
(1)	(2)	(3)
1	छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित छत्तीसगढ़ शासन के कम्प्यूटर, कम्प्यूटर सिस्टम, कम्प्यूटर नेटवर्क तथा कम्प्यूटर संसाधन, जो कि प्रशासन, प्रबंधन, संचालन, वितरण एवं शासकीय कार्यक्रमों, सेवाओं, योजनाओं इत्यादि के क्रियान्वयन के प्रयोजन हेतु प्रयुक्त हो रहे हों।	छत्तीसगढ़ शासन के स्वामित्व अथवा उसके द्वारा नियंत्रित संबंधित विभाग, अभिकरण, कार्यालय, निकाय या प्राधिकारीगण के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत सभी अधिकारी/कर्मचारी/व्यक्ति।
2	छत्तीसगढ़ शासन की आधिकारिक इंटरनेट वेबसाईट http://www.chhattisgarh.gov.in एवं सभी शासकीय विभागों तथा अभिकरणों की वेबसाईट।	सभी अधिकारी/कर्मचारी/व्यक्ति, जो कि वेबसाईट के संचालन, रखरखाव, विकास या होस्टिंग से संबद्ध हैं।
3	चिप्स की आधिकारिक इंटरनेट वेबसाईट http://www.chips.gov.in.	सभी अधिकारी/कर्मचारी/व्यक्ति, जो कि वेबसाईट के संचालन, रखरखाव, विकास या होस्टिंग से संबद्ध हैं।
4	छत्तीसगढ़ शासन की डिजीटल सचिवालय की आधिकारिक इंटरनेट वेबसाईट।	**(अ)** सभी अधिकारी/कर्मचारी, जो कि उनके संबद्ध सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्यालयीन कार्यों/प्रयोजनों के लिये इंटरनेट वेबसाईट के उपयोग हेतु प्राधिकृत किये गये हों; **(ब)** ऐसे सभी अधिकारी/कर्मचारी/व्यक्ति, जो कि इंटरनेट वेबसाईट के संचालन, रखरखाव, विकास अथवा होस्टिंग से संबद्ध हैं।

अमन कुमार सिंह
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी